

12001/2011

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES



सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

लेखपत्र का संक्षिप्त विवरण

AV 010036

1. भूमि का प्रकार	ग्रुप हाउसिंग व्यावसायिक
2. बांड / फरमाना	आग्रपाटी बोलिंगा हरदोई रोड लखनऊ
3. मोहल्ला	बराबन खुर्द
4. सम्पत्ति का विवरण (संपत्ति-नम्बर)	ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या
5. माप की इकाई (हेक्टेयर / वर्गमीटर)	वर्गमीटर
6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल	24355.22 वर्गमीटर
7. सड़क की स्थिति (परिशिष्ट-क' के अनुसार)	60.00 मीटर चौड़ी सड़क
8. अन्य विवरण (वर्गीकरोड / कार्नर इत्यादि)	कार्नर
9. सम्पत्ति का प्रकार:-	ग्रुप हाउसिंग प्लॉट
(प्लॉट / फ्लैट / मकान / दुकान / कृषि)	
10. सम्पत्ति का कुल क्षेत्रफल:	
(बहुमण्डल की स्थिति में)	
11. कुल आवंटित क्षेत्रफल	
12. स्थिति-फिनिशड / रोमीफिनिशड / अन्य	
13. पेड़ों का मूल्यांकन	
14. बोरिंग / कुओं / अन्य	
15. निर्मित क्षेत्रफल	
16. निर्माण का वर्ष	2005
17. सहकारी आवास समिति के सदस्य से सम्बन्धित है (हाँ/नहीं)	नहीं
18. प्रतिफल की धनराशि (रुपये में)	7,50,02,000.00
बौद्धदी:-	
पूरब 60.00 मीटर चौड़ी सड़क	पश्चिम: 15.00 मीटर चौड़ी सड़क
उत्तर काकोरी शहीद पार्क	दक्षिण: 18.00 मीटर चौड़ी सड़क

A. Jamal

आतेंनी

लक्ष्यक आतेंनी आयुक्त

स्टाम्प विज्ञाप की तिथि.....  
इस चरण का प्रयोजन.....  
किस नाम से प्रस्ता.....

14625

18-8-11

श्री (म) कान्त कान्त कान्त कान्त कान्त

कान्त

श्री (म) कान्त कान्त (स्टाम्प विक्रेता)  
कान्त कान्त कान्त कान्त कान्त  
कान्त कान्त कान्त कान्त कान्त



भारतीय गैर न्यायिक

दस  
रुपये  
रु.10



TEN  
RUPEES  
Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

09AB 619960

45

**CERTIFICATE**

In pursuance of the order of the collector No. 18.....

dated 06-04-2011..... passed under Section 10-A at the stamp act is certified that an amount of **Rs. 1,75,00,500/-** in words **(Rupees One Crore Seventy Five Lacs Five Hundred Only)** has been paid by **Earth Con Construction Pvt. Ltd., Rohtas K's Trident, Second Floor, 10, Rana Pratap Marg, Lucknow,** in cash as stamp duty in respect of this instrument in the State Bank of India Lucknow by Challan No. **G-100003** dated **29.08.2011**, a copy of which is annexed herewith.

Dated : 30.08.2011

Chief Treasury Officer  
Lucknow

30/08/2011

प्रिय रंजन कुमार  
मुख्य कोषाधिकारी  
कलेक्ट्रेट, लखनऊ

8925-

संख्या .....

की तिथि .....

29-8-104

.....

.....

.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....

.....

.....



.....  
.....

धनराशि जमा करने का चालान फार्म

उपकोषागार/बैंक का नाम व शाखा State Bank of India Business Branch, Lucknow.  
(SBI & BB)

- जिस व्यक्ति (पदनाम यदि आवश्यक हो) या संस्था के नाम से धनराशि जमा की जा रही है उसका नाम Earthcon Construction Pvt. Ltd.
- पता Boktas T's Trident, 1<sup>st</sup> Floor, Banapuratap Marg, Lucknow.  
U.P.
- पंजीकरण संख्या/पक्ष का नाम व वाद \*  
संख्या (यदि आवश्यक हो)
- जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण General Stamp for Certificate.  
(धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है।)
- चालान की सकल राशि 3030
- चालान की निबल राशि 02
- लेखा शीर्षक का पूर्ण विवरण/लेखा 102  
शीर्षक की मुहर: 1202 (SBI) - Gen Stamp

मुख्य लेखा-शीर्षक	उप मुख्य-शीर्षक	लघु-शीर्षक	उप-शीर्षक	ब्यौरेवार-शीर्षक	धनराशि (अंको में)
0030	02	102	00	00	1,75,00,500.00

धनराशि (शब्दों में) One Crore Seventy five Lacs five thousand only

चालान में लेखाशीर्षक की पुष्टि करने वाले विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित 24 AUG 2011  
जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर Kapil Palwal

केवल उपकोषागार/बैंक के प्रयोगार्थ

चालान संख्या रुपय रु 2 अंको में 11/08/11

विवरण: रोकड़ (विवरण सहित)  
नोट/सिक्के

(धनराशि रूपयों में)

1000 ×

500 ×

100 ×

50 ×

20 ×

10 ×

5 ×

2 ×

1 ×


चेक (पूर्ण विवरण के साथ)

योग : H.D.F.C. Bank Ltd.

D.D. No. - 042747

Rs 1,75,00,500/- One Crore Seventy Five Lac five hundred only.

टिप्पणी:

1. जिन विभागों में अधिक संख्या में चालानों द्वारा धनराशि जमा होती है (जैसे व्यापार कर, स्टाम्प एवं पंजीकरण, शिक्षा, लोक सेवा आयोग आदि) उन्हें बजट साहित्य के खण्ड-4 अथवा लोक लेखा खण्ड-2 के अनुसार लेखा शीर्षक मुद्रित कराना उचित होगा। अन्य प्रकरणों में बजट साहित्य के खण्ड-2 (लोक लेखा) तथा खण्ड-4 (राजस्व एवं पूंजी लेखों की प्राप्तियां) में दर्शाये गये लेखा-शीर्षक के स्तरों के अनुरूप विभागीय अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जायेगा।
2. जिन जमा धनराशियों के लिये विज्ञापन द्वारा सार्वजनिक रूप से प्रसारित लेखाशीर्षक विशेष में धनराशि जमा करने हेतु निर्देशित किया गया है, तो ऐसी दशा में चालान फार्म के लेखा-शीर्षक को सत्यापित करना आवश्यक नहीं होगा।
3. यदि जमा की जाने वाली धनराशि में पैसे का कोई अंश है तो 50 पैसे से कम की धनराशि को छोड़ दिया जायेगा एवं 50 पैसे या उससे अधिक की धनराशि का अगले उच्चतर रुपये पर पूर्णांकित कर धनराशि जमा की जायेगी।

17500500/-  
Rupee one crore seventy five lac five hundred only.  
Deposited by  
Vide No. G-100003  
Date 29/08/2011 in favour of  
The Treasurer, Govt. of India



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A. Jamal



AV 01-0035

02 AUG 2019

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद,  
ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड के लिए  
किराया किश्त कय किरायेदारी अनुबन्ध

यह अनुबन्ध आज दिनांक 24 माह 01 वर्ष दो  
हजार 2019 को उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम  
1965 के अधीन संगठित उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद,  
जिसका प्रधान कार्यालय लखनऊ में है और जिसका कार्य उसके  
आवास आयुक्त के जिसे एतदपश्चात 'स्वामी' कहा गया है, जिस पद

A. Jamal  
आवंटी

स्वामी आयुक्त

.....  
.....  
.....

14626  
18-8-11

श्री श्री 915 शा. नं. 2-19 71 चक्र

रमा

रमा कान्त सुवर्णा (स्टाम्प विक्रेता)

स्थापित सं. 2009

स्थापित दि. 18-8-2011

.....

.....

.....



के अन्तर्गत जब तक कि कोई बात प्रसंग से असंगत न हो, उसका उत्तराधिकारी या समनुदेशिनी भी है या जिसका तात्पर्य उसके उत्तराधिकारी या समनुदेशिनी भी है, के माध्यम से होता है। एक पक्ष और मैसर्स अर्थकांन कांस्ट्रक्शन प्रा० लि० वर्तमान पता जे०-25ए, सेक्टर-18, नोएडा, उ०प्र०-201301 जिसे एतदपश्चात् किराया किश्त क्रेता कहा गया है और जिस पद के अन्तर्गत जब तक कि प्रसंग या अर्थ से कोई बात असंगत न हो, इसमें एतदपश्चात् यथा उपबन्धित अनुमोदित नाम निर्देशिनी और उसके न होने पर उसके उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक, विधिक प्रतिनिधि और अनुज्ञा प्राप्त समनुदेशिनी भी है, दूसरे पक्ष के बीच किया गया।

चूँकि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की एक ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड आवंटन योजना के अधीन किराया किश्त क्रेता ने स्वामी से किराया किश्त क्रय योजना के अधीन एक व्यवसायिक भूखण्ड का आवंटन करने के लिए पृथक रूप से आवेदन किया है और स्वामी ने एतदपश्चात् निर्धारित निबन्धन और शर्तों पर किराया किश्त क्रेता को ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड का आवंटन करने के लिए आवंटित करने की सहमति दे दी है।

और चूँकि किराया किश्त क्रेता ने 30 प्रतिशत अग्रिम धनराशि रूपया 7,50,02,000.00 (रूपया सात करोड़ पचास लाख दो हजार मात्र) का भुगतान पहले ही कर दिया गया है जिसमें टोकन मनी की जमा बयाना धनराशि सम्मिलित है।

A. Jamal

आवंटी

स्वाधिकार अर्थात् आवुक्त

अब यह विलेख इस बात का साक्षी है कि स्वामी एतद्द्वारा किराया किश्त क्रेता के प्रसंविदा करता है और सहमत है और किराया किश्त क्रेता भी एतद्द्वारा स्वामी से निम्नलिखित रीति से प्रसंविदा करता है और सहमत है अर्थात्।

(1.) किराया किश्त क्रेता को गुप हाउसिंग भूखण्ड के रूप में सम्पत्ति का, जिसकी संख्या E-1/G.H.-1 है और जो आम्रपाली योजना, हरदोई रोड़, लखनऊ में, सेक्टर संख्या E-1 में स्थित है और जिसे अधिक स्पष्ट करने के लिए इसमें आगे दी गयी अनुसूची एक में सीमाओं के साथ अधिक विशिष्ट रूप से वर्णित किया गया है, कब्जा दिया जायेगा।

(2.) किराया किश्त क्रेता उक्त सम्पत्ति किरायेदार के रूप में निम्नलिखित शर्तों के अधीन 06 वर्ष 03 माह की (25 तिमाही किश्त) एक नियत अवधि तक ग्रहीत करेगा, जो वर्ष दो हजार ग्यारह के सितम्बर मास के प्रथम दिनांक से प्रारम्भ होगी और वर्ष दो हजार सत्रह के दिसम्बर मास के अन्तिम दिनांक को समाप्त होगी।

(3.) किराया किश्त क्रेता रूपया 1,09,08,027.00 (रूपया एक करोड़ नौ लाख आठ हजार सत्ताईस मात्र) की तिमाही किश्त की मांग की प्रतीक्षा किये बिना उस तिमाही के बाद जिस तिमाही में किश्त देय हो जाय, प्रत्येक तिमाही के प्रथम दिनांक को स्वामी के कार्यालय में या निर्दिष्ट स्थान पर भुगतान करेगा जिसका ऐसा प्रथम भुगतान इसमें ऊपर उल्लिखित किराया किश्त क्रेता द्वारा पहले ही कर दिया

A. J. J. J.

आवंटी

  
सहायक आयुक्त आयुक्त

गया और जिसे माह सितम्बर, 2011 की प्रथम किश्त के रूप में समझा जाय और ऐसा आगामी भुगतान वर्ष 2011 के माह दिसम्बर के प्रथम दिनांक को या उसके पूर्व प्रत्येक कलैण्डर मास के तुरन्त बाद किराया किश्त क्य की अवधि तक देय हो जाय या भुगतान योग्य हो जाय।

(4.) किराया किश्त क्रेता आवंटन की योजना में यथा निर्धारित नगर पालिका के या अन्य प्रकार के सभी करों, फीस, प्रभार निर्धारित कर ऐसे अन्य उदग्रहण की धनराशि का, चाहे वह किसी भी प्रकार की हो, जो स्थानीय निकाय द्वारा या राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा या किसी अन्य प्राधिकृत अभिकरण द्वारा उसके सम्बन्ध में भूस्वामी या किरायेदार को एतद्वारा किराये पर दी गयी उक्त सम्पत्ति पर लगायी गयी हो, प्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध प्राधिकारियों को भुगतान करेगा। किराया किश्त क्रेता स्वामी को सम्पत्ति कर, जल प्रभार, सीवर व्यवस्था के प्रभार का, जैसा कि स्वामी द्वारा समय-समय पर उदग्रहीत किया जाय, भुगतान करेगा।

परन्तु किराया किश्त क्रेता की ओर से ऐसा भुगतान न किये जाने की दशा में स्वामी को ऐसी देय धनराशि को भू-राजस्व के बकाये के रूप में या ऐसी अन्य रीति से जो विधि संगत हो, वसूल करने और उसे किश्त के बकाये के रूप में मांगने की शक्ति होगी।

(5.) किराया किश्त क्रेता ऐसा कोई कार्य या ऐसी कोई बात नहीं करेगा या करने की अनुमति नहीं देगा जो स्वामी उसी कालोनी में

A. Fimal  
आवंटी

  
आयुक्त आयुक्त आयुक्त

या पड़ोस में या अन्य सम्पत्ति के अध्यासियों की राय में लोक कण्टक हो और उसे प्रयोजन के अनुरूप न हो जिसके लिये योजना बनायी गयी है।

(6.) किराया किश्त क्रेता एतदद्वारा स्वीकृत अवधि के दौरान सभी युक्ति युक्त समय पर स्वामी या स्वामी द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किन्हीं व्यक्तियों को उक्त सम्पत्ति में और उस पर प्रवेश करने और मरम्मत की स्थिति का निरीक्षण करने की अनुमति देगा और यदि ऐसा निरीक्षण करने पर स्वामी को यह प्रतीत हो कि कोई साम्प्रतिक या विशेष मरम्मत आवश्यक है तो किराया किश्त क्रेता के खर्च पर स्वामी करवा सकता है और किराया किश्त क्रेता एतदद्वारा स्वामी को ऐसी धनराशि का भुगतान करके जिसे स्वामी (जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा) इस निमित्त नियत करे, ऐसे खर्च की प्रतिपूर्ति करने की सहमति देता है। परन्तु यह और कि यदि किराया किश्त क्रेता युक्तियुक्त समय के भीतर ऐसे खर्च की प्रतिपूर्ति न करे तो स्वामी उसके साथ-साथ वसूली के व्यय भूराजस्व के बकाये के रूप में वसूल करने का हकदार होगा।

(7.) किराया किश्त क्रेता स्वामी द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को उक्त सम्पत्ति में उस पर ऐसे कर्मकारों के साथ प्रवेश करने की अनुमति देगा जो पाइप लाइन, सीवर लाइन या कोई विद्युत आपूर्ति लाइन बिछाने, उसकी मरम्मत करने या उसे निश्चित स्थान पर लगाने के प्रयोजन के साथ-साथ उक्त सम्पत्ति में बिछायी गयी किसी

H. Final  
आवंटी

  
पञ्जाब शाखा जायुक्त

सर्विस लाइन से किन्हीं अन्य सम्पत्ति को जोड़ने के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो।

(8) किराया किश्त क्रेता स्वामी की लिखित पूर्वानुमति के बिना और सम्बद्ध प्राधिकारी की लिखित स्वीकृति या अनुमति के बिना भी उक्त सम्पत्ति में कोई परिवर्तन या परिबर्द्धन नहीं करेगा या करने की अनुमति नहीं देगा।

परन्तु स्वामी अपने विवेकानुसार किसी परिवर्तन या परिबर्द्धन चाहे जो भी हो, के लिए ऐसी अनुमति देने से इन्कार कर सकता है और उस निमित्त उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

(9.) किराया किश्त क्रेता, स्वामी की लिखित पूर्व सहमति के बिना जिसे वह अपने स्पष्ट विवेकानुसार अस्वीकृत करने का हकदार होगा, उस सम्पत्ति के सम्पूर्ण या किसी भाग का विक्रय, अन्तरण, समनुदेशन नहीं करेगा या कब्जे से अन्यथा अलग नहीं होगा।

परन्तु सहमति दिये जाने की दशा में सम्पत्ति का ऐसा प्रत्येक अन्तरण समनुदेशन केवल इस किरायेदारी की शेष अवधि के लिए होगा और यथा स्थिति अन्तरिती या समनुदेशिती इसमें दिये गये निबन्धनों और शर्तों से आबद्ध होगा और उसकी सभी बातों के लिए स्वामी के प्रति उत्तरदायी होगा।

परन्तु यह भी कि ऐसा कोई भी समनुदेशन या अन्तरण बैध या अनुमन्य नहीं होगा जहाँ समनुदेशिती या अन्तरिती कोई ऐसा व्यक्ति

A. Jmal

आवंटी

सहायक अधिकारी

है जो योजना में यथा उपबन्धित पात्रता की अपेक्षाओं को पूरा न करता हो।

(10.) किराया किश्त क्रेता इस किरायेदारी की अवधि के दौरान इसमें नीचे दी गयी अनुसूची दो में दिये गये किरायेदारी सम्बन्धी अनुबन्धों पर पालन करेगा।

(11.) किराया किश्त क्रेता इस योजना के अधीन उस पर जाने वाले ऐसे सभी उत्तरदायित्वों का निर्वाहन करेगा जो इस विलेख के अंग समझे जायेगे और इनके बारे में इस अनुबन्ध पत्र के पक्षकारों के बीच एतद्वारा सहमति है।

(12.) किराया किश्त क्रेता किसी भी स्तर पर किन्हीं भी कारणों से चाहे जो भी हो, जैसा कि योजना में सम्पत्ति के विभव के सम्बन्ध में जिसके अन्तर्गत उसका स्वरूप और उसकी स्थिति उसके लिए अपनायी गयी विशिष्टियाँ प्रयुक्त सामग्री और कारीगरी संरचना की स्थिरता और टिकाऊ पर आवास का प्रकार साज सामान और अधिष्ठापन और अन्य सुविधाओं के साथ-साथ ऐसी अन्य सभी बातें भी उनसे उक्त सम्पत्ति बनी है स्पष्ट रूप से उपबन्धित है, सम्पत्ति के बारे में ऐसी शिकायत करने से विरह रहेगा जिससे आपत्तियाँ उठे या दावे प्रस्तुत किये जाये।

(13) किराया किश्त क्रेता अपने जीवन काल में लिखित रूप से अपने हस्ताक्षर से ऐसे नाम निर्देशिती को, जिसे वह उक्त सम्पत्ति में, जिसमें उसकी मृत्यु हो जाने की स्थिति में भूखण्ड/ भवन के भावी

A. Kunal

आवंटी

  
सहायक आयुक्त आयुक्त


स्वामित्व में उसका अधिकार भी सम्मिलित है, अपना अंश या हित अन्तरित करना चाहे, नाम निर्दिष्ट करेगा और उसे आवास आयुक्त के पास जमा कर देगा स्वामी किराया किश्त क्रेता के मृत्यु का प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर तदनुसार अन्तरण करेगा जो स्वामी और सार्वजनिक निकायों के प्रति किराया किश्त क्रेता के समस्त विद्यमान दायित्वों और बाध्यता के अधीन होगा। इस प्रकार किये गये नाम निर्देशन को विखण्डित किया जा सकता है और किराया किश्त क्रेता उपर्युक्त रीति से उसके स्थान पर दूसरा नाम निर्देशन कर सकता है।

परन्तु किराया किश्त क्रेता द्वारा ऐसा नाम निर्देशन न किये जाने पर किराया किश्त क्रेता के वारिस/वारिसों का स्वामी द्वारा इस विलेख के हिताधिकारी/हिताधिकारियों के रूप में स्वीकार किया जायेगा।

(14.) किराया किश्त क्रेता सभी देयों का जिनका भुगतान इस विलेख के अनुसरण में उसके द्वारा किया जाना अपेक्षित है, पूरा और नियमित भुगतान करेगा किश्तों के भुगतान के लिए उनके देय होने के दिनांक से एक माह की छूट दी जायेगी।

यदि वह किश्त में सम्मिलित साधारण व्याज के अतिरिक्त प्रदेशन पत्र में उल्लिखित प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से दण्ड व्याज के भुगतान का देनदार होगा। यदि भुगतान छूट की अवधि के भीतर न किया जाय तो किराया किश्त क्रेता तदनुसार किश्तों के वस्तुतः देय होने के दिनांक से निर्धारित प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से व्याज के

A. Jangal  
आवंटी

  
उहायक आवास आयुक्त

भुगतान का देनदार होगा। लगातार तीन से अधिक किशतों का भुगतान करने में व्यतिक्रम होने की दशा में किरायेदारी समाप्त समझी जायेगी और क्रेता को बेदखल किया जा सकेगा। स्वामी को देय समस्त बकाया धनराशि को भूराजस्व के रूप में या ऐसी अन्य रीति से, जिसका विधि समर्थन करे, वसूल किया जा सकेगा। किराया किशत क्रेता का जल सम्पूर्ति कनेक्शन तथा विद्युत कनेक्शन भी विच्छेदन किया जा सकेगा तथा निर्धारित शर्तों प्रक्रिया से पुनः संयोजन किया जा सकेगा।

(15.) यदि किराया किशत क्रेता सम्पत्ति या साझा भाव या साझा सेवाओं का उपयोग इस ढंग से करता है कि उसे क्षति पहुँचे या उसका क्षय हो या गलत कार्य के लिए उसका उपयोग हो, तो किराया किशत क्रेता ऐसी क्षति, क्षय होने या गलत उपयोग किये जाने के लिए स्वामी या पंजीकृत अभिकरण की तत्सम्बन्धी प्रभार का भुगतान करेगा।

(16.) यदि किराया किशत क्रेता किराया किशत क्य की अवधि के समाप्त होने के पूर्व एतद्वारा स्वीकृत किरायेदारी को स्वतः समाप्त करना चाहे तो वह इसके लिए स्वामी को तीन महीने की नोटिस देगा और स्वामी सभी देयों के साथ -साथ इस अनुबन्ध के अनुसार किराया किशत क्रेता द्वारा किरायेदारी को इस प्रकार समाप्त करने के कारण होने वाले हानि की वसूली करेगा।

A. Jamal  
आवंटी

  
रहायक अन्तर्गत आयुक्त

(17.) इसमें इसके पूर्व दी गयी किसी बात के होते हुए भी, यदि कोई जॉच की जायेगी तो यदि आवश्यक हो, सम्बद्ध पक्षों की सुनवाई के पश्चात यदि स्वामी की राय में जिसका विनिश्चय अन्तिम और बाध्यकर होगा, किराया किश्त क्रेता द्वारा ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड के आवंटन के लिए उसके द्वारा दिये गये आवेदन पत्र में कोई गलत बयान किया गया हो या किन्हीं सारवान तथ्यों को छिपाया गया हो तो स्वामी के लिए किराया किश्त क्रेता को बेदखल करना और सम्पत्ति का कब्जा लेना विधिपूर्ण होगा और जब यह अनुबन्ध समाप्त समझा जायेगा और किराया किश्त क्रेता द्वारा इस प्रकार जमा की गयी धनराशि का स्वामी को समपहरण हो जायेगा।

(18.) स्वामी एतद्वारा सहमत है कि किराया किश्त क्रेता इस विलेख के अनुसार उसके द्वारा देय सभी भुगतान करके और इसमें दी गयी सभी शर्तों को पूरा करके और उनका पालन करके उक्त अवधि के दौरान स्वामी या उसके अधीन विधि पूर्वक दावा करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा किसी विधि पूर्ण विघ्न या बाधा के सिवाय उक्त सम्पत्ति को किरायेदार के रूप में शान्तिपूर्वक ग्रहीत करेगा और उसका उपभोग करेगा।

(19.) स्वामी एतद्वारा किराया किश्त क्रेता को किराया किश्त कय की अवधि की समाप्ति के पश्चात विहित प्रपत्र में उसके साथ हस्तांतरण विलेख निष्पादित करके उक्त सम्पत्ति का अन्तरण करने के लिए सहमत है, परन्तु यह कि उसने ऐसे निष्पादन के पूर्व स्वामी

A. Jamal  
आवटी

  
सहायक अधिकारी वायुसेवा

को और सार्वजनिक निकायो को यदि कोई हो, सभी देयों का भुगतान कर दिया हो। किराया किश्त क्रेता इसके बाद किरायेदार नहीं रहेगा और पैरा -5 में यथा उपबन्धित निष्पादित किये जाने वाले हस्तान्तरण विलेख के उपबन्धों के अधीन रहते हुए सम्पत्ति का सम्पत्ति के रूप में स्वामी हो जायेगा।

(20.) स्वामी एतद्वारा किराया किश्त क्रेता को किराया किश्त क्रय की अवधि की समाप्ति के पश्चात विहित प्रपत्र में उसके साथ हस्तान्तरण विलेख निष्पादित करके उक्त सम्पत्ति का अन्तरण करने के लिए सहमत है परन्तु यह कि उसने ऐसे निष्पादन के पूर्व स्वामी को और सार्वजनिक निकायों को, यदि कोई हो, सभी देयों का भुगतान कर दिया हो। किराया किश्त क्रेता इसके बाद किरायेदार नहीं रहेगा और पैरा-5 में यथा उपबन्धित निष्पादित किये जाने वाले हस्तान्तरण विलेख के उपबन्धों के अधीन रहते हुए सम्पत्ति का पट्टेदार के रूप में स्वामी हो जायेगा।

(21.) हस्तान्तरण विलेख सामान्यतः स्वामी द्वारा किराया किश्त क्रय की अवधि की समाप्ति के पश्चात निष्पादित किया जायेगा, फिर भी यदि किराया किश्त क्रेता ने इसके पूर्व किरायेदारी समाप्त करने और सम्पत्ति का स्वामित्व उसमें निहित करने के लिए आवेदन किया हो और यदि किराया किश्त क्रेता स्वामी द्वारा (जिसका विनिश्चय अन्तिम और बाध्यकर होगा) की गयी संगणना के अनुसार पूरा भुगतान कर देता है, तो स्वामी हस्तान्तरण विलेख निष्पादित करेगा।

A. J. J. J.

आवंटी


लहायक अवाक आयुक्त

(22.) यदि उक्त विनियमों और उनके अधीन किये गये अनुबन्धों की शब्दावली के निर्वचन के या अनुबन्ध के अनुसार किये गये या किये जाने के लिए प्रस्तावित किसी विनिश्चय के बारे में कोई विवाद या मतभेद उत्पन्न हो तो आवास आयुक्त विनिश्चय करेंगे और किराया किश्त क्रेता के लिए संयुक्त रूप से या पृथक-पृथक ऐसा विनिश्चय अन्तिम और बाध्यकर होगा।

(23.) इस अनुबन्ध में प्रवृत्त रहने के दौरान इस अनुबन्ध में दी गयी किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, स्वामी को इस अनुबन्ध के अन्तर्गत आने वाली सम्पत्ति के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार, जीवन बीमा निगम, और आवास एवं विकास निगम लिमिटेड या किसी अन्य अभिकरण या संगठन के पक्ष में उक्त सरकार, निगम अभिकरण या संगठन के विभिन्न आवासीय और ग्रुप हाउसिंग योजनाओं को प्रारम्भ करने के लिए स्वामी द्वारा पहले ही प्राप्त किये गये या इस अनुबन्ध के निष्पादन के पश्चात प्राप्त किये जाने वाले ऋणों की प्रतिभूति के लिए बन्धक या प्रभार का सृजन करने का अधिकार होगा। किराया किश्त क्रेता इस शर्त के से सहमत है और ऐसे प्रभार के सम्बन्ध में कोई आपत्ति चाहे किसी प्रकार की हो, न उठाने का बचन देता है।

(24.) प्रदेशन ग्रहीता द्वारा परिषद से मानचित्र स्वीकृत कराकर तदनुसार ही उक्त भूखण्ड पर निर्माण कार्य कराया जायेगा एवं असंगत शर्तें लागू न होंगी।

A. J. Singh  
आवंटी

  
आवास आयुक्त

किरायेदारी सम्बन्धी अनुबन्ध

1. यह उपबन्ध किराया किश्त क्रेता पर लागू होंगे जो और जिसके साथ-साथ उसके फ्लैट / भूखण्ड / भवन का प्रत्येक उपयोगकर्ता संयुक्त रूप से पृथक-पृथक उनका पालन करने के लिए उत्तरदायी होंगे।
2. किराया किश्त क्रेता अपने फ्लैट / भूखण्ड / भवन के भीतर, कूड़े रद्दी कागजों, बुहारन, रसोईघर और भोजन की अपशिष्ट सामग्री कूड़ा कर-कट और इसी प्रकार की वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए पात्र (कूड़ादान) रखेगा और प्रत्येक व्यक्ति ऐसी बेकार चीजों को एक ऐसे पात्र में डालेगा और कहीं अन्यत्र नहीं डालेगा।
3. ऐसे पात्र में पड़ी हुई सामग्री को प्रतिदिन उसे रास्ते में बिखराये बिना, इस प्रयोजन के लिए आरक्षित स्थान पर डालेगा।
4. स्नानघर और शौचालय जैसी स्वच्छता सुविधाओं का उपयोग इस ढंग से किया जायेगा कि कोई नाली कूड़ा करकट रद्दी कागज, बुहारन या इसी प्रकार की चीजों से रुकने न पावे।
5. किसी कूड़ादान या कचरा रखने की पेटी को किराया किश्त क्रेता के फ्लैट / भूखण्ड / भवन के बाहर या गलियारे या रास्ते में नहीं रखा जायेगा।
6. भवन के साझे के भाग के खुले स्थान का उपयोग मूत्रालय के रूप में नहीं किया जायेगा।

A. J. Patel  
आवंटी

सहायक अधिकारी/जायक

7. किराया किश्त क्रेता के फ्लैट / भूखण्ड / भवन या साझा भाग के या सड़क के किसी भाग में कोई अवशिष्ट पदार्थ नहीं बिखेरा जायेगा और चारों ओर पास पड़ोस को स्वच्छ और सुव्यवस्थित रखेगा।
8. फ्लैट / भूखण्ड / भवन के या कालोनी के किसी भाग का उपयोग खतरनाक, ज्वलनशील या आपत्ति जनक सामग्री रखने या उसका भण्डार या ढेर लगाने के लिए नहीं किया जायेगा।
9. भूखण्ड के किसी भाग में एक दुधारू गाय या भैंस के अतिरिक्त किसी पशु या पक्षी को उस प्रयोजन के लिए उपर्युक्त व्यवस्था किये बिना नहीं रखा जायेगा।
10. प्रत्येक व्यक्ति इस बात का ध्यान रखेगा कि सम्पत्ति की कोई क्षति न हो या उसका क्षय न हो।
11. प्रत्येक व्यक्ति इस बात का सावधानी रखेगा कि पानी का नल या उसकी फिटिंग पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और बिजली की लाइन और उसकी प्रतिष्ठा को किसी से कोई बिगाड़ने न पाये।
12. सम्पत्ति का दुरुपयोग जैसे साझा गलियारा, साझा रास्ता, सीढ़िया, चबूतरा प्रवेश मार्ग बनाने के लिए नहीं किया जायेगा और न करने की अनुमति दी जायेगी।
13. परिसर में कोई वाहन लाने वाला प्रत्येक व्यक्ति इस बात का ध्यान रखेगा कि निवासियों के निर्वाध आवागमन में कोई अवरोध उत्पन्न न हो।

A. J. J. J.  
आवंटी

- 2017  
ज्वलन शील आयुष्य

14. उपर्युक्त किसी भी अनुबन्ध का पालन न करना अनुबन्ध के निबन्धनों का उल्लंघन करना होगा और परिषद ऐसी उल्लंघन के लिए किराया किश्त केता के विरुद्ध उनके बीच निष्पादित अनुबन्ध के अधीन उसमें निहित शक्ति के अनुसार कार्यवाही करेगी।
15. जल/सीवर संयोजन तथा नियमित जल शुल्क के सम्बन्ध में जो धनराशि परिषद द्वारा निर्धारित की जायेगी उसका भी भुगतान अलग से करना होगा।
16. व्यवसायिक भूखण्डों के सम्बन्ध में शासन/परिषद द्वारा समय समय पर बनाये गये आदेश/नियम भी प्रदेशन ग्रहीता पर लागू होंगे किसी सक्षम न्यायालय के स्थगन आदेश पर परिषद किसी हर्जे या व्याज का देनदार नहीं होगा।

ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या E-1/G.H.-1 का कुल मूल्य रूपया 25,00,06,333.00 (रूपया पचीस करोड़ छः हजार तीन सौ तेतीस मात्र) जिसका आधा रूपया 12,50,03,166.50 (रूपया बारह करोड़ पचास लाख तीन हजार एक सौ छियासठ व पैसा पचास मात्र) होता है। ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड के विरुद्ध शेष किश्तों का भुगतान नियमित रूप से नहीं किया जाता है तो उसमें व्याज/दण्डव्याज नियमानुसार देय होगा।

अतएव परिषद द्वारा निर्धारित भूखण्ड के कुल मूल्य पर 7 प्रतिशत की दर से स्टैम्प शुल्क की धनराशि रूपया 1,75,00,000.00 मात्र निर्धारित होती है, जिसके विरुद्ध मुख्य कौषाधिकारी, कलेक्ट्रेट,

A. Jamal  
आवंटी

- 27 -  
आवंटी

लखनऊ द्वारा अधिकृत स्टैट बैंक आफ इण्डिया, लखनऊ में चालान संख्या जी-100003 दिनांक 29.08.2011 को स्टैम्प शुल्क के रूप में धनराशि रूपया 1,75,00,500.00 (रूपया एक करोड़ पचहत्तर लाख पाँच सौ मात्र) मैसर्स अर्थकॉन कांस्ट्रक्शन प्रा० लि०, जे०-25ए, सेक्टर-18, नोएडा, उ०प्र०-201301 द्वारा जमा कराया जा चुका है, बैंक द्वारा प्रदत्त जमा रसीद की छायाप्रति एवं मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र अनुबन्ध के साथ संलग्न है एवं धनराशि रूपया 200.00 मात्र के स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध निष्पादित किया जा रहा है।

आवंटित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या E-1/G.H.-1 संलग्न प्रदेशन पत्र के अनुसार 6 माह के भीतर है।

**अनुसूची-तीन**  
**किराया किश्त कय के उपबन्ध**

1. यह उपबन्ध किराया किश्त क्रेता पर लागू होंगे जो और जिसके साथ-साथ उसके व्यवसायिक भूखण्ड का प्रत्येक उपयोगकर्ता संयुक्त रूप से पृथक-पृथक उनका पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।
2. किराया किश्त क्रेता अपने व्यवसायिक भूखण्ड में कूड़े, रद्दी कागजों, बुहारन, रद्दी सामान और इसी प्रकार की वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए एक पात्र रखेगा और प्रत्येक व्यक्ति ऐसी बेकार चीजों को एक ऐसे पात्र में डालेगा और कहीं अन्यत्र नहीं डालेगा।
3. ऐसे पात्र में पड़ी हुई सामग्री को प्रतिदिन उसे रास्ते में बिखराये बिना, इस प्रयोजन के लिए आरक्षित स्थान पर डाला जायेगा।

*A. J. J. J.*  
**आवंटी**

*J. J. J.*  
**सहायक अर्जात आयुक्त**

अनुसूची-एक

परिषद की आम्रपाली योजना, हरदोई रोड लखनऊ स्थित सेक्टर संख्या E-1 जिसकी संख्याकित संख्या E-1/G.H.-1 एवं भूमि का क्षेत्रफल 24355.22 वर्गमीटर है। सम्पत्ति की सीमा निम्नलिखित है:-

उत्तर:	काकोरी शहीद पार्क	पूर्व:	संलग्न
पूर्व:	60.00 मीटर चौड़ी सड़क	पश्चिम:	साइट प्लान
दक्षिण:	18.00 मीटर चौड़ी सड़क	उत्तर:	के
पश्चिम:	15.00 मीटर चौड़ी सड़क	दक्षिण:	अनुसार

अनुसूची-दो

इस अनुबन्ध पत्र पर इसके साक्ष्य में इसके पक्षकारों ने पहली बार ऊपर लिखित दिनांक मास और वर्ष को अपने हस्ताक्षर किये:-

प्रथम साक्षी हस्ताक्षर:

1. नाम: मौदुद्दीन खान किराया किराया किराया का सुपाध्य  
2. पता: 10/1/37 अव म लुका गीता हस्ताक्षर और पता

द्वितीय साक्षी हस्ताक्षर:

1. नाम: काशीफ इरफान केशव 4. हस्ताक्षर: A. Juma आवंटी  
2. पता: 502/12A फिदवाइ हाजी 2. नाम: मैसर्स अर्थकान कांस्ट्रक्शन प्रा० लि०  
मुकारिम नवाज सिल्लोवांग 3. पता: द्वारा हस्ताक्षर हेतु अधिकृत  
लखनऊ (अहमद जमाल)  
पुत्र डा० एम० आई० खान

प्रथम साक्षी

1. हस्ताक्षर: [Signature]  
2. नाम: C.P. A. J. S  
3. पता: Acct


द्वितीय साक्षी

1. हस्ताक्षर: [Signature]  
2. नाम: J.A.O.  
3. पता:

परिषद की ओर से एवं उसके लिए

[Signature]  
सहायक आवास आयुक्त  
/सम्पत्ति प्रबन्धक






construction division-21  
U.P. AVAS EVAM VIKAS PARISHAD.  
sector-E. AMRAPALI Yojna  
HARDOI ROAD, Lucknow.

SITE PLAN

NAME OF SCHEME - आमुपाली से. ह. से. लखनऊ  
PLOT HOUSE NO - E-1/GH-1

NAME OF ALLOTTEE - श्री अर्थकान कांस्ट्रक्शन प्रा० लि०



AREA AS PER DRG. ---  
WIDTH --- M  
LENGTH --- M  
TOTAL AREA 24355.22 SQ.M

LOCATION

in NORTH KAKORI SHEED PARK  
in SOUTH 18.00 M. WD. ROAD.  
in EAST 60.00 M. WD. ROAD.  
in WEST 15.00 M. WD. ROAD.



(RAFI AHMAD)  
D/MAN

(RAJESH MISRA)  
Jr. Er.

11/7/11  
11.7.11  
जे० ए० कांस्ट्रक्शन प्रा० लि०

A. Jamal  
आवटी  
Allottee

श्री अर्थकान कांस्ट्रक्शन प्रा० लि०  
E.M.O.

A. Jamal

रजिस्ट्रेशन अधि० 1908 की धारा - 32 ए० के अनुपालन हेतु  
फिंगर प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता / क्रेता नाम व पता :- मैसर्स अरबाकान ऑफिशर्स प्रा० लि०, 1- 25 A, Sector 18, Noida, U.P.  
होस्टल एन्टरप्राइज इन्फ्रस्ट्रक्चर डेवेलपर्स प्रा० लि०, 25A-क, कृती इन्डियन रोड, लखनऊ

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-




दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-




विक्रेता / नाम व पता :- अनिल कुमार सहपाठ काकासु काकुना प्रस्तुतकर्ता / क्रेता के हस्ताक्षर  
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, आम्रपाली योजना, लखनऊ

*A. F. Jamal*

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-




दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



*सहपाठ काकासु काकुना*  
विक्रेता के हस्ताक्षर

आज दिनांक 29/09/2011 को  
बही सं. 1 जिल्द सं. 8328  
पृष्ठ सं. 211 से 268 पर क्रमांक 12001  
रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

  
आनन्द प्रकाश मिश्र  
उप निबन्धक (चतुर्थ)  
लखनऊ  
29/9/2011





कार्यालय सम्पत्ति प्रबन्ध  
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद  
आवासाली योजना, हरदोई रोड, लखनऊ



पंजीकृत/समीक्ष पोस्ट  
दिनांक 20-7-22

क्रमांक 122

स०प्र० आवासाली लखनऊ

पृष्ठ सं.

मैसर्स अर्थकॉन कांस्ट्रक्शन प्रा० लि०

प्लॉट नं० 18,  
लखनऊ, उ०प्र० 201301

विषय:- परिषद की आवासाली योजना लखनऊ में स्थित ग्रुप हाउसिंग मूखण्ड संख्या ई-1/जी०एच०-1, में 20 प्रतिशत बैंक गारन्टी से मुक्ति दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि परिषद की आवासाली योजना हरदोई रोड, लखनऊ स्थित ग्रुप हाउसिंग मूखण्ड संख्या ई-1/जी०एच०-1 में वंच 20 प्रतिशत बैंक गारन्टी से मुक्ति के लिए आप के प्रार्थना पत्र दि० 08.04.11 के सन्दर्भ में आवास आयुक्त(न०) द्वारा सम्बन्धित विधायक जी० जी० का आवेदन स्वीकार कर लिया गया है। जिसकी सूचना संयुक्त आवास आयुक्त(न० जी०) के पत्र सं० 1504 दि० 07.07.11 द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त हुई है।

अतः मुख्यालय से प्राप्त उक्त आदेश के अनुपालन में निम्नलिखित औपचारिकतारों पूर्ण करने का कष्ट करें -

1. 10 प्रतिशत धनराशि  
₹ 2,41,49,900.00
  2. न्याय पत्र  
₹ 1,75,00,500.00
  3. अन्य-अनुबन्ध पर हस्ताक्षरकर्ता व्यक्ति के पास में कंपनी द्वारा प्रदत्त अधिकार पत्र एवं या फाईल में हस्ताक्षर निर्धारित प्रारूप पर प्रमाणित संलग्न करें, अधिशासी अभियान्त नि०खण्ड-2 आवासाली योजना लखनऊ से 03 नग साइड प्लान प्राप्त कर प्रस्तुत करें।
- अतः आपका सूचित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार औपचारिकतार दि० 30/08/22 को पूरा करने का कष्ट प्राप्त करने का कष्ट करें।

भवदीय

(सहायक प्रशासक)  
सहायक आवास आयुक्त

*A. J. Ahmad*

सं० प्र० आवासाली लखनऊ



आवासीय संगठित प्रबन्ध  
 आवास आवासीय विकास परियोजना  
 आवासीय आवासीय विकास परियोजना



आवास, आवासीय परियोजना

दिनांक 29.01.2011

आवास अधिकांश कास्ट्रक्शन प्राणिक

प्लॉट-252 संक्टर-18

पिन कोड 201301

विषय- निदेश की आवासीय योजना लघुनक में स्थित ग्रुप हाउसिंग मूवमेंट संख्या ई-1/जी0एच0-1 का प्रवेश-पत्र।

संदर्भ

संदर्भ विषयक अवगत कराना है कि परिषद की आवासीय योजना इन्फोई गैर लघुनक के अंतर्गत ग्रुप हाउसिंग मूवमेंट की नीलामी दिनांक 29.01.2011 में शामिलित ग्रुप हाउसिंग मूवमेंट संख्या ई-1/जी0एच0-1 हेतु आप द्वारा की गयी प्रस्ताव विवरण संख्या 252/2011 के नीचे की संयुक्त आवास आयुक्त(ल0जी0) के पत्र संख्या 252/2011 के अनुसार प्रतिक्रिया प्रदान की गयी है।

आवास अधिकांश आवास के अनुपालन में ग्रुप हाउसिंग मूवमेंट संख्या ई-1/जी0एच0-1 के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रस्ताव किया जाता है-

- 1. ग्रुप हाउसिंग मूवमेंट संख्या ई-1/जी0एच0-1 का क्षेत्रफल 2439.18 वर्ग मीटर
- 2. स्थिति उच्चतम बोली प्रति वर्ग मीटर ₹ 10265.00
- 3. अंश का कुल मूल्यांकन होना शुद्ध करित। ₹ 249759563.00
- 4. अंश धनराशि का अंतर में उच्च धनराशि ₹ 24720501.00
- 5. अंश अंतर के अंतर में अंतर स्वीकृत मूल्यांकन के 20 प्रतिशत धनराशि जो दिनांक 01.04.11 से दिनांक 30.06.11 तक देना है जिसमें टैक्स धनराशि समाविष्ट है। ₹ 25221414.00
- 6. प्रवेश पत्र निर्गत दिनांक से छः माह के अंतर देना 20 प्रतिशत धनराशि जो दिनांक 01.07.11 से दिनांक 30.09.11 तक देना है। ₹ 24975956.00
- 7. अंश अंतर के अंतर में अंतर स्वीकृत मूल्यांकन के 20 प्रतिशत धनराशि जिसमें 5 प्रतिशत अंश सहित 25 प्रतिशत धनराशि में निर्धारित किया गया है। ₹ 174831863.00
- 8. अंश धनराशि विवरण की धनराशि, जो दिनांक 01.10.11 तक देना है। ₹ 1897261.00
- 9. अंश धनराशि की संख्या 25

A. Jamal

वित्तीय जोड़ प्रत्येक त्रैमासिक माह के प्रथम दिनांक से देय होगा।

जल/सीवर संयोजन तथा नियमित जल शुल्क के सम्बन्ध में जो धनराशि परिषद द्वारा निर्धारित की जाएगी उसका भी भुगतान अलग से करना होगा।

वित्तीय अनुबन्ध निष्काशन हेतु स्टैम्प शुल्क नगर निगम/सरकार या परिषद द्वारा लगाय जा सकेगा जहाँ का वहन प्रवेशन गृहीता को करना होगा।

प्रवेशन गृहीता को प्रवेशन पत्र में उल्लिखित धनराशि/औपचारिकताओं की पूर्ति निर्धारित अवधि तक पूर्ण करनी होगी। मुख्यण्ड को निरस्त करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अथवा अदेयता पर प्रवेशन निरस्त होता है तो प्रवेशन सम्पूर्ण होकर धनराशि जमा करते हुए नियमानुसार अन्य कर्तव्यों करते हुए निरस्त किया जाएगा।

प्रवेशन गृहीता द्वारा परिषद से मानचित्र स्वीकृत कराकर तदनुसार ही उक्त मुख्यण्ड पर निर्माण कराया जाएगा।

किसी भी देय धनराशि का विलम्ब से भुगतान करने की दशा में 12 प्रतिशत की वृद्धि अतिरिक्त ब्याज देय होगा जो वास्तविक देय तिथि से देय होगा।

वॉलन मनी हेतु बैंक ड्राफ्ट परिषद खाते में क्रेडिट होने पर प्रवेशन पत्र मान्य होगा।

पुप हाउसिंग/व्यावसायिक/संस्थागत सम्पत्तियों के निवेशकों/आवंटियों द्वारा अपने तदन्वय/घटकों को आवंटित मुख्यण्ड पर निर्मित सम्पत्ति को रजिस्ट्री कराने का अधिकार नहीं होगा जबतक उनकी परिषद से पूर्ण देयता समाप्त नहीं हो जाती। परिषद को प्रति तेयता समाप्त होने एवं निवेशक/आवंटियों के पक्ष में प्रवेशन की ओर से रजिस्ट्री होने पर ही निवेशक/आवंटियों द्वारा ग्राहकों के पक्ष में रजिस्ट्री करने का अधिकार होगा।

पुप हाउसिंग/व्यावसायिक/संस्थागत सम्पत्तियों के आवंटियों को आवंटित सम्पत्ति के सम्बन्ध में मुख्यण्ड/कलेट/सम्पत्ति के एग्रीमेंट टू सेल (Agreement to sale) के शर्तों पर जो भी विक्रय धनराशि (Sales proceed) प्राप्त होगी उसकी 50 प्रतिशत धनराशि परिषद में निर्धारित सीमा तक जमा करनी होगी। वह बाध्यता प्रत्येक एग्रीमेंट टू सेल में उक्त दशा में होगी जबतक वह जिस सीमा तक परिषद की किराये(धनराशि) आवंटियों पर बकाया हो प्रभावी रहेगी।

निवेशकों/व्यावसायिक/पुप हाउसिंग मुख्यण्डों के आवंटियों द्वारा उपरोक्त देय भुगतान मुख्यण्डों के अनुसार भुगतान न किये जाने की अथवा अनुबन्ध के प्रावधानों/शर्तों के उल्लंघन की दशा में परिषद को देय धनराशि को नू-राजस्व की भाँति धनराशि प्रस्तुत करने का अधिकार होगा।

आवंटित सम्पत्ति के सम्बन्ध में परिषद को पूर्ण भुगतान प्राप्त होने तक सम्पत्ति विधायक द्वारा किराये प्रकार की वसूली का प्रथम अधिकार परिषद को होगा।

A. Javed

विभाजन शुल्क रू० 624399.00 तथा अनुबन्ध/विलेख हेतु शुल्क रू० 300/- की होल्ड प्रतिकी शुल्क 50/- साइड प्लान हेतु रू० 100/- कुल रू० 624849.00 पी०एन०बी० टाकुरगंज लखनऊ में परिषद के खाता सं० सी०ए०-979 में दि० 30.08.11 तक जमा करने का कष्ट करे।

2. संस्था द्वारा अधिकृत व्यक्ति की दो प्रमाणित फोटो व हस्ताक्षर सहित जो किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित हो तथा प्रमाणित कर्ता द्वारा प्रदेशभ प्रहीता का नाम पिता/पति का नाम व पता प्रमाणित कर्ता द्वारा स्वयं की हस्तलिपि में हो तथा चार फोटो ग्राफ पासपोर्ट साईज बिना प्रमाणित।
3. रू० 100 का नाम जुडिशियल स्टाम्प पेपर मीटर बांड हेतु।
4. अनुबन्ध/विलेख निष्पादन हेतु कुल स्वीकृत मूल्य का 7 प्रतिशत देय रू० 17483200.00 का स्टाम्प पेपर। शासनादेश के अनुसार स्टाम्प शुल्क में कमी/वृद्धि हो सकती है।
5. भूखण्ड का कब्जा भूखण्ड के कुल मूल्य का 30 प्रतिशत धनराशि जमा करने एवं 20 प्रतिशत रू० 49951912.00 की बैंक गारण्टी प्रस्तुत करने के परचात रजिस्टर्ड अनुबन्ध निष्पादन के परचात हस्तगत किया जा सकेगा।
6. कब्जा हेतु दिनांक 30.08.11 तक समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करने का कष्ट करे अन्यथा परिषद नियमानुसार दिनांक 01.10.11 से रू० 50/- प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क भी देय होगा।
7. भूखण्ड के मूल्य एवं मासिक किरतो की धनराशि पी०एन०बी० टाकुरगंज लखनऊ में परिषद के खाता सं० सी०ए०-980 में जमा की गयी धनराशि को अग्रिम प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करे।
8. तीन नग साइड प्लान अधिशासी अभि० निर्माण खण्ड-21 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद आशपाली योजना, हरदोई रोड, लखनऊ से प्राप्त कर कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

मयदीय  
21/11/12  
(रामेश्वर प्रसाद)  
सहा० आवास आयुक्त

A. Jaiswal



कार्यालय सन्पत्ति प्रबन्ध  
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद  
आम्रपाली योजना, हरदोई रोड, लखनऊ

पंजीकृत



संशोधित प्रदर्शन पत्र  
दिनांक (क्षेत्रफल में वृद्धि होने पर)  
30-05-2011

पत्रांक 340

स०प्र० / आम्रपाली लखनऊ

सेट नं०

मैसर्स अर्थकान कांस्ट्रक्शन प्रा०लि०  
जे-25ए, सेक्टर-16,  
नोएडा, उ०प्र० 201301

विषय:- परिषद की आम्रपाली योजना लखनऊ में स्थित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या  
ई-1/जी०एच०-1, का संशोधित प्रदर्शन-पत्र।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि परिषद की आम्रपाली योजना हरदोई रोड, लखनऊ के अन्तर्गत दि० 29.01.2011 की नीलामी में ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या ई-1/जी०एच०-1 क्षेत्रफल 24331.18 आप के पक्ष में प्रदर्शन पत्र सं० 3436 दि० 11.04.11 द्वारा अर्जित किया गया है। अधिशासी अभि० नि० खण्ड-21 के पत्रांक 577/डब्ल्यू-3/20 दि० 25.05.11 द्वारा उक्त भूखण्ड का क्षेत्रफल 24331.18 वर्गमी० के स्थान पर 24768.07 वर्गमी० का संशोधित मानचित्र प्रेषित किया गया है अर्थात् उक्त भूखण्ड के क्षेत्रफल में 434.89 वर्गमी० की वृद्धि हुई है। अतः उपरोक्तानुसार बड़े हुए क्षेत्रफल के आधार पर पूर्व में निर्गत प्रदर्शन पत्र निम्नवत् संशोधित किया जाता है।

(1)	ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं० ई-1/जी०एच०-1 का क्षेत्रफल	24768.07 वर्ग मी०
क	स्वीकृत उच्चतम बोली प्रति वर्ग मी०	रु० 10265.00
ख	भूखण्ड का कुल मूल्य (फी होल्ड शुल्क सहित)	रु० 254223709.00
ग	टोकन धनराशि के रूप में जमा धनराशि	रु० 24730500.00
घ	प्रदर्शन पत्र के निर्गत तिथि से तीन माह के अन्दर स्वीकृत मूल्य की 20 प्रतिशत धनराशि जो दिनांक 01.04.11 से दि० 30.06.11 तक देय है (जिसमें टोकन धनराशि समायोजित है।)	रु० 25114242.00
ङ	प्रदर्शन पत्र निर्गत तिथि से छः माह के अन्दर देय 10 प्रतिशत धनराशि जो दिनांक 01.07.11 से दि० 30.08.11 तक देय है।	रु० 25422371.00
च	स्वीकृत मूल्य की शेष 70 प्रतिशत धनराशि जिसपर 18 प्रतिशत व्याज सहित 24 तिमाही किराता में निर्धारित किया गया है।	रु० 177956596.00
1	प्रथम त्रैमासिक किरात की धनराशि जो दि० 10.09.11 से प्रारम्भ होगी।	
2	तिमाही किरात की रु०-25	रु० 11092035.00

A. Jumeel

150,006,333.00

विक्रय अनुबंध विलेख (कब्जा)

75,002,000.00 10,000.00 40 10,040.00 2,000

प्रतिफल मालियत अग्रिम धनराशि फीस रजिस्ट्री नकल व प्रति शुल्क योग शब्द लगभग  
श्री मेसर्स अर्ककान कांस्ट्र.प्र.लि.द्वारा अधि.हासक. अहमद जमाल  
पुत्र श्री एम आई खान  
व्यवसाय व्यापार

निवासी स्थायी 26-ए/के ए वजीर हसन रोड लखनऊ  
अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 29/9/2011 समय 7:53PM

बजे निबन्धन हेतु पेश किया।



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

आनन्द प्रकाश मिश्र  
उप निबन्धक (चतुर्थ)

लखनऊ

29/9/2011

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु. प्रलेखानुसार उक्त  
विक्रेता क्रेता

इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि इस लेखपत्र का निष्पादन  
श्री अनिल कुमार सहायक आवास आयुक्त  
ने अपने पद के अधिकार से किया है इसलिये उनकी उपस्थिति  
और हस्ताक्षरों की आवश्यकता नहीं है, और लेखपत्र  
रजिस्ट्रीकरण के लिए स्वीकार किया गया।

श्री मेसर्स अर्ककान कांस्ट्र.प्र.लि.द्वारा अधि.हासक.  
अहमद जमाल  
पुत्र श्री एम आई खान  
पेशा व्यापार  
निवासी 26-ए/के ए वजीर हसन रोड लखनऊ



ने निष्पादन स्वीकार किया।

जिनकी पहचान श्री अरुण सक्सेना योजना सहायक

पेशा नौकरी

निवासी उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद लखनऊ

व श्री काशिफ इरफान  
पुत्र श्री इरफान अहमद

पेशा नौकरी

निवासी मुकारिव नगर लखनऊ

ने की।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

आनन्द प्रकाश मिश्र  
उप निबन्धक (चतुर्थ)

लखनऊ

29/9/2011

3. त्रैमासिक तिथि प्रत्येक त्रैमास मात के प्रथम दिनांक से देय होगी।
4. जल/सीवर संयोजन तथा नियमित जल शुल्क के सम्बन्ध में जो धनराशि परिषद द्वारा निर्धारित की जाएगी उसका भी भुगतान अलग से करना होगा।
5. विलेख अनुबन्ध निष्पादन हेतु स्टैम्प शुल्क नगर निगम/सरकार या परिषद द्वारा लगाये गये समस्त करों का वहन प्रदेशन प्रहीता को करना होगा।
6. प्रदेशन प्रहीता को प्रदेशन पत्र में उल्लिखित धनराशि/औपचारिकताओं की पूर्ति निर्धारित अवधि तक पूर्ण करनी होगी। भूखण्ड को निरस्त करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अथवा अदेयता पर प्रदेशन निरस्त होता है तो प्रदेशन सम्पूर्ण टोकन धनराशि जप्त करते हुए नियमानुसार अन्य कटौतियाँ करते हुए निरस्त किया जायेगा।
7. प्रदेशन प्रहीता द्वारा परिषद से मानचित्र स्वीकृत कराकर तदनुसार ही उक्त भूखण्ड पर निर्माण कराया जाएगा।
8. किसी भी देय धनराशि का विलम्ब से भुगतान करने की दशा में 17 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त ब्याज देय होगा जो वास्तविक देय तिथि से देय होगा।
9. टोकन मनी हेतु बैंक ड्राफ्ट परिषद खाते में क्रेडिट होने पर प्रदेशन पत्र मान्य होगा।
10. ग्रुप हाउसिंग/व्यावसायिक/संस्थागत सम्पत्तियों के निवेशकों/आवंटियों द्वारा अपने सदस्यों/ग्रहकों को आवंटित भूखण्ड पर निर्मित सम्पत्ति की रजिस्ट्री कराने का अधिकार नहीं होगा जबतक उनकी परिषद से पूर्ण देयता समाप्त नहीं हो जाती। परिषद के प्रति देयता समाप्त होने एवं निवेशक/आवंटी के पक्ष में परिषद की ओर से रजिस्ट्री होने पर ही निवेशक/आवंटी द्वारा ग्रहकों के पक्ष में रजिस्ट्री कराने का अधिकार होगा।
11. ग्रुप हाउसिंग/व्यावसायिक/संस्थागत सम्पत्तियों के आवंटितियों को आवंटित सम्पत्ति के सापेक्ष भूखण्ड/फ्लेट/सम्पत्ति के एग्रीमेन्ट टू सेल (Agreement to sale) के सापेक्ष जो भी विक्रय धनराशि (Sales proceed) प्राप्त होगी उसकी 50 प्रतिशत धनराशि परिषद में निर्धारित सीमा तक जमा करनी होगी। यह बाध्यता प्रत्येक एग्रीमेन्ट टू सेल में उस दशा में होगी जबतक वह जिस सीमा तक परिषद की किश्तें(धनराशि) आवंटी पर बकाया हो, प्रभावी रहेगी।
12. निवेशकों(व्यावसायिक/ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों के आवंटी) द्वारा उपरोक्त देय भुगतान सिडयूल के अनुसार भुगतान न किये जाने की अथवा अनुबन्ध के प्राविधानों/शर्तों के उल्लंघन की दशा में परिषद को देय धनराशि को सू-राजस्व की भाँति धनराशि वसूल करने का अधिकार होगा।
13. आवंटित सम्पत्ति के सापेक्ष परिषद को पूर्ण भुगतान प्राप्त होने तक सम्पत्ति विक्रय द्वारा किसी प्रकार की वसूली का प्रथम अधिकार परिषद को होगा।

H. Jamal

विक्रेता


Registration No.: 12001

Year: 2,011

Book No. : 1

0101 अनिल कुमार सहायक आवास आयुक्त

उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद लखनऊ  
नौकरी



उद्योग औपचारिकताएँ

1. विज्ञापन शुल्क रु० 824399.00 तथा अनुबन्ध/विलेख हेतु शुल्क रु० 300/- की होल्ड पुस्तिका शुल्क 50/- साइड प्लान हेतु रु० 100/- कुल रु० 824849.00 पी०एन०बी० ठाकुरगंज लखनऊ में परिषद के खाता सं० सी०ए०-879 में दि० 30.08.11 तक जमा करने का कष्ट करे।
2. संस्था द्वारा अधिकृत व्यक्ति की दो प्रमाणित फोटो व हस्ताक्षर सहित जो किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित हो तथा प्रमाणित कर्ता द्वारा प्रदेशन ग्रहीता का नाम पिता/पति का नाम व पता प्रमाणित कर्ता द्वारा स्वयं की हस्तलिपि में हो तथा धार फोटो ग्राफ पासपोर्ट साईज बिना प्रमाणित।
3. रु० 100 का नान जुडिशियल स्टाम्प पेपर मीटर बांड हेतु।
4. अनुबन्ध/विलेख निष्पादन हेतु कुल स्वीकृत मूल्य का 7 प्रतिशत देय रु० 17795700.00 का स्टाम्प पेपर। शासनादेश के अनुसार स्टाम्प शुल्क में कमी/वृद्धि हो सकती है।
5. भूखण्ड का कब्जा भूखण्ड के कुल मूल्य का 30 प्रतिशत धनराशि जमा करने एवं 20 प्रतिशत रु० 50844742.00 की बैंक गारण्टी प्रस्तुत करने के पश्चात रजिस्टर्ड अनुबन्ध निष्पादन के पश्चात हस्तगत किया जा सकेगा।
6. कब्जा हेतु दिनांक 30.08.11 तक समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करने का कष्ट करे अन्यथा परिषद नियमानुसार दिनांक 01.10.11 से रु० 50/- प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क भी देय होगा।
7. भूखण्ड के मूल्य एवं मासिक किश्तों की धनराशि पी०एन०बी० ठाकुरगंज लखनऊ में परिषद के खाता सं० सी०ए०-960 में जमा की गयी धनराशि की अग्रिम प्रति इत कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करे।
8. तीन नग साइड प्लान अधिशासी अभि० निर्माण खण्ड-21 उ० प्र० आवास एवं विक्रम परिषद आम्रपाली योजना, हरदोई रोड, लखनऊ से प्राप्त कर कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

भवदीय

(रामेश्वर प्रसाद)

सहा० आवास आयुक्त

क्रेता

Registration No. : 12001

Year : 2,011

Book No. : 1

0201 मेसर्स अर्ककान कांस्ट्र.प्र.लि.द्वारा अधि.हारक. अहमद जमाल  
एम आई खान  
26-ए/के ए बजीर हसन रोड लखनऊ  
व्यापार

